न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारीः— सन्दीप कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 45/16

1. लेखराम पुत्र श्री मुखराम जाति कुम्हार निवासी किकरवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

1/1. परमेश्वरी पत्नी लेखराम जाति कुम्हार निवासी किकरवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

1/2. कलावती पुत्री लेखराम पत्नी प्रेमचंद जाति कुम्हार निवासी किकरवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

1/3. मोहनलाल पुत्र लेखराम जाति कुम्हार निवासी किकरवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

—प्रार्थी

बनाम

1. चावली धर्म पत्नी श्री बनवारीलाल पुत्र उदाराम जाति नाई निवासी कोलहा तहसील व जिला हनुमानगढ़।(मृतक)
2. सरस्वती धर्म पत्नी श्री रामप्रताप पुत्र उदाराम जाति नाई निवासी कोलहा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री रामप्रताप जाति नाई निवासी किकरवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

—अप्रार्थीगण

राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251—क की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थितिः—

1. श्री राजाराम पुनियां वकील प्रार्थी
2. श्री सुभाष बिश्नोई वकील अप्रार्थीगण

—:निर्णयः—

दिनांकः—29.08.2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 क(1) प्रस्तुत करं निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी जोत के आने जाने के लिए चक 63 आर बी ए के मुरब्बा नं. 37 के कि.नं. 18/2 में दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2—3 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी के पास मु.नं. 37 के कि.नं. 7 में रायसिंहनगर से श्रीगंगानगर जाने वाली हांईवे सड़क लगती हैं। प्रार्थी को अपने खेत में रास्ता हाईवे से मु.नं. 37 के कि.नं. 7 से हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी सं. 1 की मृत्यु हो जाने के कारण प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3—4 व धारा 151 सीपीसी के तहस अप्रार्थी सं. 1 के वारिसान पूर्व में पत्रावली में मौजूद अप्रार्थी सं. 2—3 को रिकार्ड पर लिया गया। भू अभिलेख निरीक्षक किकरवाली से मौका जाँच रिपोर्ट ली गयी। मुताबिक रिपोर्ट भू. अभिलेख निरीक्षक चक 63 आर.बी ए प.नं. 177/270 मु.नं. 36 में 1.518है नहरी मय खाला व प.नं. 178/270 मु.नं. 37 कि.नं. 16—17 में 0.506है नहरी कुल 2.087है नहरी मय खाला लेखराम पुत्र मुखराम कौम कुम्हार सा. कीकरवाली खातेदार राहिन एसबीबीजे शाखा कीकरवाली मूर्तहीन दर्ज रिकार्ड हैं। प्रार्थी को अपने खेत में जाने हेतु रास्ता की आवश्यक्ता हैं प्रार्थी का खेत मुख्य सड़क रायसिंहनगर श्रीगंगानगर से लगभग आधा बीघा दुरी पर हैं। मौका पर कोई रास्ता चलता नहीं पाया। प्रार्थी की मांग के अनुसार निम्न रास्ता प्रस्तावित किया जाता हैं— चक 63 आर बी ए के प.नं. 178/270 मु.नं. 37 कि.नं. 18/1 में एक बिस्वा यानि 0.012है दक्षिण पासा खातेदार चावली 0.772है. सुरसती 2.410है. पुत्रिया उदाराम जगदीश प्रसाद पुत्र

(सन्दीप कुमार)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

रामप्रताप 0.772है. कौम नाई सा. कीकरवाली के रकबा में से। भू अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में उक्त रास्ता प्रस्तावित किया है।

बहस उभयपक्ष के अधिवक्तागण की सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक के अनुसार रास्ता स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थी के वैकल्पिक रास्ता होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष के अधिवक्तागण पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक के अनुसार मौका पर प्रार्थी को अपनी जोत में आवागमन हेतु रास्ता नहीं हैं। अतः प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यक्ता को देखते हुए भू अभिलेख निरीक्षक की अनुशंषा के आधार पर चक 63 आर बी ए के प.नं. 178/270 मु.नं. 37 कि.नं. 18/1 में एक बिस्वा यानि 0.012है गै.मु. दक्षिण पासा रास्ता स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थी रास्ते में आई भूमि के बदले मुआवजे के तौर पर अप्रार्थीगण को रास्ते में आई भूमि के डी.एल.सी दर के दो गुणा राशि का भुगतान करेगा। तहसीलदार(राजस्व) रायसिंहनगर प्रार्थीगण से राशि जमा कर नियमानुसार अप्रार्थीगण को भुगतान करें। तथा उक्त स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। इसी आश्य का आदेश तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर के नाम जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार)
उपखण्डाधिकारी, (राजस्व)
रायसिंहनगर

(सन्दीप कुमार)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner